1 /

Actt (B&T)



(11)

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय किया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पर (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

पुनः नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिये) :—

सशस्त्र बल के जूनियर कमिशंड आफिसर या समतुल्य पद के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास ऊपर विनिर्दिष्ट अपेक्षित अनुभव/प्रशिक्षण हैं। यदि चयन हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनः नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे अर्हक अधिकारी, पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति पुनः नियोजन के आधार पर होगी ।

**टिप्पण :** पुनः नियोजन सिवल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक ।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनः नियोजन के लिये) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**<br>1. निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन) जल संसाधन मंत्रालय —अध्यक्ष<br>2. अवर सचिव, (बजट) जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य<br>3. अवर सचिव, (प्रशासन) जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य | प्रतिनियुक्ति या पुनः नियोजन में जहां सशस्त्र बल का कार्मिक अन्य व्यक्तियों के साथ चयन क्षेत्र में हैं संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

[फा. सं. 9/3-ए/2009-प्रशा.]

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 13th April, 2012

**G.S.R. 86.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Accountant (Budget and Technical) Group 'B' post, Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant (Budget and Technical) in the Ministry of Water Resources, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Accountant (Budget and Technical) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2012.